न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 51 / 2023

1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व श्री महेशचन्द्र
2 मायाराम पुत्र स्व. श्री महेशचन्द्र
3 दयाराम पुत्र स्व. श्री. महेशचन्द्र
4 रघुनाथ प्रसाद पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणप्रसाद
5 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणप्रसाद
6 सीताराम पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणप्रसाद
समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 09 जाटावाली ढाणी गांधीपार्क के पीछे नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। मो. नम्बर 8387826666

अपीलांट

बनाम

1 मंदिर श्री रामाबाई जरिये राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज. कनविनर। 333042
2 मंदिर श्री रामाबाई जरिये सचिव / सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर, पता– हवामहल का रास्ता तन गणगौर बाजार, जेडीए मार्केट कनवर नगर, जयपुर राज.।– 302002
3 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.02.2023 बउनवानी ग्यारसी देवी वगै बनाम राज. सरकार वगै. मु.नं. 104/2022 जीएसएम नम्बर 2022/352 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

उपस्थिति :

1. श्री बलवन्त सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 12.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक दावा बउनवान 'ग्यारसी देवी वगैरह बनाम राज. सरकार वगै.' मु.नं. 104/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम नवलगढ़ पटवार हल्का नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1447, 1448, 1449, 1456 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22, 0.17, 0.82 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के सबसे पुराने खसरा नम्बर 829 मी. रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 831 मी. रकबा 13 बिश्वा रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में संवत 2012 से 2015 में खुदकाश्त की हैसियत से अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हुक्मा जाति माली के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा चली आ रही थी। तदुपरांत बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर रामबाई के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलान्टस की पैत्रिक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसको पहले अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया, लक्ष्मण प्रसाद पुत्र हुक्मा काश्त करते थे। उक्त रूड़िया के कोई जायन्दा या दत्तक की संतान नहीं थी, रूड़िया लाऔलाद फौत होने के कारण से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रूड़िया की भूमि उसके मृत्यु उपरान्त उसका भाई लक्ष्मण काश्त करने लगा। इस प्रकार रूड़िया व लक्ष्मण प्रसाद के अपीलान्टस ही एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है तथा विवादित भूमि में अपीलान्टस नम्बर 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 हिस्सा व अपीलान्टस नम्बर 4 लगायत 6 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा इसी हिस्सेनुसार विवादित भूमि के मौके पर कब्जाकाश्त व हक अधिकार है। राजस्थान प्रान्त में पहले जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, तमाम कृषि भूमि जागीरदार के अधीन आती थी, जिसका अपना पाना होता था, जागीरदार अपनी कृषि भूमि को लगान के बदले विभिन्न लोगों से काश्त करवाते थे, इसी प्रकार मूर्ति मंदिर व मंदिर की सेवा पूजा, परवरिश खर्चा आदि के लिये तत्कालिन जागीरदार अपनी भूमि को माफी में मंदिर को जिस पर चारण भाट आदि को लगान लेने के लिए बता दिया करते थे, उसी प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि को मात्र लगान वसुलने के लिये बता दिया करते थे, भूमि माफी में बताई जाती थी ताकि लगान जागीरदार की हैसियत से मंदिर ले सके अर्थात लगान जागीरदार नहीं लेकर मंदिर का पुजारी, सेवक मंदिर का खर्चा चलाने के लिये काश्तकार से जागीरदार की जगह उक्त लगान मात्र वसुलते थे और जो भूमि माफी में दी जाती थी उसका तात्पर्य यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

था कि हम जागीरदारो ने लगान लेना छोड़ दिया है जिसके बदले में जागीरदार के स्थान पर मंदिर जागीरदार की हैसियत से लगान वसुलती थी ताकि मंदिर की सेवा पुजा हो सकें। जागीरदार द्वारा मंदिर के हक में लगान छोड़ने का मतलब मात्र मंदिर लगान लेने का अधिकारी था, अन्य किसी तरह का हक अधिकार, खातेदारी, कब्जाकाश्त मंदिर की नहीं होती थी, मंदिर व उसको कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते थे, न ही खातेदारी अधिकार थे। इस प्रकार की भूमियों पर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया व जागीर रिज्युम हुई तब उस भूमि की खातेदारी काबिज काश्तकार कृषक को प्राप्त हुई और काश्तकार खातेदार बन गया तथा पहले लगान मंदिर को देता था वो लगान बाद में राज्य सरकार को अदा करने लगा, जो भूमि मंदिर की खुदकाश्त व खातेदारी की थी उस भूमि पर मंदिर को ही खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुये, अन्य काश्तकार को मंदिर की खुदकाश्त की भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये। परन्तु ऐसी भूमियों जो मंदिर की खुदकाश्त की नही थी तथा अन्य काश्तकार काबिज काश्त थे, उनको कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि पर जागीरदारी समय से अपीलान्टस के पूर्वज काबित काश्त था जो रूड़िया, लक्ष्मण प्रसाद पुत्र हुक्मा की खुदकाश्त की भूमि थी तथा वर्तमान में विवादित भूमि पर अपीलान्टस पैत्रिकता के आधार पर काबित काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है जिसके संबंध में अपीलान्टस खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहते है परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से इस सभी बातो पर कोई गौर न करके अपीलान्टस का वाद–पत्र को बिना किसी कानूनी बिन्दु व तथ्य अंकित किये बिना ही खारिज फरमा दिया तथा कानूनी बिन्दुओं का गलत विवेचन कर गलत निर्णय पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि के संबंध में प्रथम भू–अभिलेख संवत 2012 से 2015 में अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया पुत्र हुक्मा का नाम खुदकाश्त कृषक के रूप में दर्ज है, जबकि मंदिर मूर्ति रामाबाई का नाम जागीरदार की हैसियत से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

जागीरदार के कॉलम में दर्ज है, जो प्रमाणित करता है कि मंदिर मूर्ति जागीरदार है तथा विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त की नहीं है, जबकि कृषक के कॉलम में अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया वल्द हुक्मा का नाम दर्ज है जो रूड़िया वल्द हुक्मा खुदकाश्त में दर्ज है। संवत 2016 से 2019 में भी इसी अनुसार अंकन है तथा संवत 2020 से 2031 तक बने राजस्व भू–अभिलेख में अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया, लक्ष्मण प्रसाद पुत्र हुक्मा का नाम कृषक के कॉलम में दर्ज है और जागीदार के कॉलम में राजकीय (लैण्ड होल्डर) दर्ज है अर्थात कॉलम नम्बर 4 में भूमि राजकीय है तथा कॉलम नम्बर 5 में जो कृषक है उसमें अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया, लक्ष्मण प्रसाद का नाम अंकन का है। सन् 1979–80 में नई पैमाईश आयी जिसकी कार्यवाही सन् 1985 तक चली, पैमाईश को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को समाप्त करके किसी को नई खातेदारी देने आदि का अधिकार नहीं था, लेकिन नई पैमाईश में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विधि विरूद्ध रूप से बिना क्षेत्राधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया, लक्ष्मण प्रसाद पुत्र हुक्मा का नाम की खातेदारी विवादित भूमि के संबंध में खत्म करके मंदिर मूर्ति रामाबाई जरिये रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 के नाम दर्जकर दी। उक्त विवादित भूमि अपीलान्टस व अपीलान्टस के पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त की भूमि रही है जो संवत 2012 से 2015 में खुदकाश्त की हैसियत से अपीलान्टस के पूर्वज रूड़िया पुत्र हुक्मा जाति माली खुदकाश्त के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा चली आ रही थी तथा यह भी अंकित किया है कि जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 798 में उक्त गत खसरा नम्बर 829 व 831 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी रूड़ा लिछमण पिता हुक्मा कौम माली सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है व माफी मंदिर की जगह राज्य सरकार का नाम दर्ज रिकार्ड है जो सेटलमेन्ट तक चलता रहा तथा गत खसरा नम्बर 829 व 831 की खसरा गिरदावरी संवत 2036, 2037 में कॉलम नम्बर 22 (कृषक का नाम) में रूड़ा लिछमण प्रसाद पिता हुक्मा कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः अपील अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1447, 1448, 1449, 1456 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22, 0.17, 0.82 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर में अपीलान्टस नम्बर 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा अपीलान्टस नम्बर 4 लगायत 6 प्रत्येक को हिस्सा 1/4–1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें जिसके लिये रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को तहरीर जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली के प्रस्तुत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 में स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि कस्बा नवलगढ़ की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 337 में मंदिर श्री रामाबाई हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकरण के संबंध में पुराने रिकार्ड का अवलोकन किया गया, वर्तमान खसरा नम्बर 1447, 1448, 1449, 1456 के पुराने खसरा नम्बर 829 व 831 है। मिसल हैकियत संवत 1999 के खाता संख्या 431 में कॉलम 6 (माफीदार व बाढ़दार) में माफी मंदिर रामाबाई मजकूर व कॉलम संख्या 7 (खातेदार व गैर खातेदार) में वादीगण के पूर्वज रूड़िया वल्द हुक्मा कौम माली सा.देह 4 साल दर्ज रिकार्ड है। संवत 2012 से 2019 तक की जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 4 में माफी मंदिर श्री रामाबाई व कॉलम नम्बर 5 में रूड़िया वल्द हुक्मला खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है, उसके बाद जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 798 में उक्त गत खसरा नम्बर 829 व 831 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी रूड़ा लिछमण पि. हुक्मा कौम माली सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है व माफी मंदिर की जगह राज्य सरकार का नाम दर्ज रिकार्ड है जो सैटलमेंन्ट तक चलता रहा। सन् 1985 में नया सैटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 829 व 831 के नये खसरा नम्बर 2769, 2770, 2771 व 2778 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22, 0.17 व 0.82 किता 4 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर में कॉलम नम्बर 3 (भूस्वामी) में राज्य सरकार का नाम व कॉलम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नम्बर 4 में (खातेदार/गैर खातेदार) में मंदिर श्री रामाबाई खातेदार दर्ज किया गया जो आज तक चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के प्रकाश में अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के प्रस्तुत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 में स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि कस्बा नवलगढ़ की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 337 में मंदिर श्री रामाबाई हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकरण के संबंध में पुराने रिकार्ड का अवलोकन किया गया, वर्तमान खसरा नम्बर 1447, 1448, 1449, 1456 के पुराने खसरा नम्बर 829 व 831 है। मिसल हैकियत संवत 1999 के खाता संख्या 431 में कॉलम 6 (माफीदार व बाढ़दार) में माफी मंदिर रामाबाई मजकूर व कॉलम संख्या 7 (खातेदार व गैर खातेदार) में वादीगण के पूर्वज रूड़िया वल्द हुक्मा कौम माली सा.देह 4 साल दर्ज रिकार्ड है। संवत 2012 से 2019 तक की जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 4 में माफी मंदिर श्री रामाबाई व कॉलम नम्बर 5 में रूड़िया वल्द हुक्मला खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है, उसके बाद जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 798 में उक्त गत खसरा नम्बर 829 व 831 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी रूड़ा लिछमण पि. हुक्मा कौम माली सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है व माफी मंदिर की जगह राज्य सरकार का नाम दर्ज रिकार्ड है जो सैटलमेंन्ट तक चलता रहा। सन् 1985 में नया सैटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 829 व 831 के नये खसरा नम्बर 2769, 2770, 2771 व 2778 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22, 0.17 व 0.82 किता 4 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर में कॉलम नम्बर 3 (भूस्वामी) में राज्य सरकार का नाम व कॉलम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

नम्बर 4 में (खातेदार/गैर खातेदार) में मंदिर श्री रामाबाई खातेदार दर्ज किया गया जो आज तक चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के प्रकाश में अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)